

मध्य प्रदेश शासन



मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005

के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित

विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण

जगदीश देवड़ा
वित्त मंत्री

वर्ष 2020-21

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1	प्राक्कथन	I
2	वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण; प्ररूप एफ -1	1
3	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण; प्ररूप एफ-2	12
4	राजकोषीय नीति युक्ति विवरण; प्ररूप एफ-3	25
5	राजकोषीय स्थिति के चयनित सूचकों का विवरण; प्ररूप एफ-4	33
6	राज्य सरकार के दायित्वों के घटक तथा दायित्वों पर ब्याज लागत/ निक्षेपों की गतिशीलता का विवरण; प्ररूप एफ-5	34
7	संचित निक्षेप निधि विवरण; प्ररूप एफ-6	36
8	राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण; प्ररूप एफ-7	37
9	प्रत्याभूति विमोचन निधि पर एक विवरण; प्ररूप एफ-8	38
10	वित्तीय आस्तियों का विवरण; प्ररूप एफ-9	39
11	राजस्व जो बढ़ाया गया पर वसूल नहीं किया गया (मुख्य कर और करेतर) का विवरण; प्ररूप एफ-10	40
12	राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा उनसे संबंधित वेतन के ब्यौरे का विवरण; प्ररूप एफ-11	41
13	विभागवार प्रावधिक सीमा का निर्धारण	51

प्राक्कथन

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन नियम, 2006 क्रमशः एक जनवरी 2006 एवं तीस जनवरी 2006 से प्रभावशील है।

अधिनियम की धारा 5 सहपठित नियम 3, 4, 5 एवं 7 के अन्तर्गत, राज्य शासन द्वारा, विधान सभा के समक्ष, वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेम वर्क स्टेटेमेंट), मध्यम कालिक राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति युक्ति एवं प्रकटन विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में विधानसभा के समक्ष यह विवरण प्रस्तुत है।

जगदीश देवड़ा
वित्त मंत्री

सितम्बर, 2020

प्ररूप एफ-1
(नियम 3 देखिए)

वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण
(मैक्रो इकॉनामिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट)

क. 1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत विचार –

1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि

1.1 मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों पर (आधार वर्ष 2011-12) वर्ष 2018-19 के त्वरित अनुमान ₹522009.32 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में अग्रिम अनुमान अनुसार ₹ 561801.49 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कि 7.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। गत वर्ष की तुलना में सकल राज्य मूल्य वर्धन के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 7.74 प्रतिशत, 4.56 प्रतिशत तथा 8.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1.2 वर्ष 2019-20 के अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 906671.79 करोड़ है। जबकि वर्ष 2018-19 का त्वरित अनुमान ₹ 809591.72 करोड़ था। इसमें पिछले वर्ष के त्वरित अनुमान की तुलना में 11.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- 1.3 मध्यप्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.52 प्रतिशत औसत वृद्धि दर दर्ज की गई है।
- 1.4 राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2019-20 के दौरान प्रचलित भावों पर औसतन 14.17 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है।
- 1.5 वर्ष 2019-20 के लिये सकल राज्य मूल्य वर्धन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान तथा उनमें वृद्धि की स्थिति तालिका 1.1(अ) एवं 1.1(ब) में दर्शाई गई है।

तालिका 1.1 (अ)
सकल राज्य मूल्य वर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान
स्थिर भावों पर (आधार वर्ष 2011-12)

(राशि ₹ करोड़ में)

स.क्र.	आर्थिक क्रियाकलाप	वर्ष 2018-19 (त्वरित अनुमान)	वर्ष 2019-20 (अग्रिम अनुमान)	वर्ष 2019-20 में गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
	प्राथमिक क्षेत्र	167454.08	180419.67	7.74
1	फसलें	112097.08	120045.58	7.09
2	पशुधन	27036.61	31728.29	17.35
3	वानिकी और लट्ठा बनाना	11072.42	11096.65	0.22
4	मत्स्यन एवं जलीय कृषि	1490.87	1633.69	9.58
5	खनन एवं उत्खनन	15757.10	15915.46	1.01
	द्वितीयक क्षेत्र	119018.42	124449.94	4.56
6	विनिर्माण	58059.77	60271.27	3.81
7	बिजली, गैस, जलपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	18703.22	19622.10	4.91
8	निर्माण	42255.43	44556.57	5.45
	तृतीयक क्षेत्र	196131.24	212015.15	8.10
9	व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह	58277.60	63912.22	9.67
10	परिवहन एवं भंडारण	15607.21	16473.26	5.55
11	रेलवे	5664.42	5884.58	3.89
12	संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	8310.52	8470.62	1.93
13	वित्तीय सेवाएं	21218.12	21874.19	3.09
14	स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं	27014.96	29152.88	7.91
15	लोक प्रशासन	30042.19	32538.67	8.31
16	अन्य सेवायें	29996.22	33708.73	12.38
	बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन	482603.74	516884.76	7.10
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	522009.32	561801.49	7.62

नोट - सकल मूल्य वर्धन (GVA) का अर्थ बुनियादी मूल्यों पर राज्य की सीमा के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रथम आय से प्राप्त आय से है जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अर्थ उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर बाजार भाव पर प्राप्त आय से है।

तालिका 1.1 (ब)
सकल राज्य मूल्य वर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान
प्रचलित भावों पर (आधार वर्ष 2011-12)

(राशि ₹ करोड़ में)

स.क्र.	आर्थिक क्रियाकलाप	वर्ष 2018-19 (त्व्रित अनुमान)	वर्ष 2019-20 (अग्रिम अनुमान)	वर्ष 2019-20 में गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
	प्राथमिक क्षेत्र	322346.90	373358.32	15.83
1	फसलें	221086.06	259085.12	17.19
2	पशुधन	59878.92	71423.73	19.28
3	वानिकी और लट्ठा बनाना	16592.17	16839.75	1.49
4	मत्स्यन एवं जलीय कृषि	2562.52	2975.57	16.12
5	खनन एवं उत्खनन	22227.23	23034.15	3.63
	द्वितीयक क्षेत्र	152209.18	160376.84	5.37
6	विनिर्माण	66899.10	69776.25	4.30
7	बिजली, गैस, जलपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	25599.35	26668.44	4.18
8	निर्माण	59710.73	63932.15	7.07
	तृतीयक क्षेत्र	281510.67	310399.22	10.26
9	व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह	85489.53	95202.20	11.36
10	परिवहन एवं भंडारण	19903.03	21330.87	7.17
11	रेलवे	7629.59	8048.20	5.49
12	संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	10613.96	10985.05	3.50
13	वित्तीय सेवाएं	26462.51	27700.90	4.68
14	स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं	41413.04	45378.69	9.58
15	लोक प्रशासन	41964.14	46942.01	11.86
16	अन्य सेवायें	48034.87	54811.30	14.11
	बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन	756066.75	844134.38	11.65
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	809591.72	906671.79	11.99

नोट - सकल मूल्य वर्धन (GVA) का अर्थ बुनियादी मूल्यों पर राज्य की सीमा के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रथम आय से प्राप्त आय से है जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अर्थ उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर बाजार भाव पर प्राप्त आय से है।

2. राज्य अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन

2.1 प्रदेश की अर्थव्यवस्था की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तन तालिका 2.1 में प्रदर्शित है।

तालिका 2.1

प्रदेश की अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन
स्थिर भावों पर (आधार वर्ष 2011-12)


(प्रतिशत में)

क्षेत्र	2011-12	2018-19	2019-20
		त्वरित अनुमान	अग्रिम अनुमान
प्राथमिक	33.85	34.70	34.90
द्वितीयक	27.09	24.66	24.08
तृतीयक	39.06	40.64	41.02

2.2 वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि में राज्य स्तर पर अर्थ व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हुए हैं। इस अवधि में मध्यप्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 33.85 प्रतिशत से बढ़कर 34.90 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 27.09 प्रतिशत से घटकर 24.08 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 39.06 प्रतिशत से बढ़कर 41.02 प्रतिशत हुआ है।

2.3 2011-12 से 2019-20 की अवधि में राज्य की क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था का विकास निम्नानुसार रहा है।

स्थिर भावों पर क्षेत्रवार तथा सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि



3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार

- 3.1 वर्ष 2018-19* में ₹137.29 करोड़ राजस्व आधिक्य के पुनरीक्षित अनुमानों के विरुद्ध, लेखा अनुसार राजस्व आधिक्य ₹8814.57 करोड़ रहा। राजकोषीय घाटा ₹28611.96 करोड़ के पुनरीक्षित अनुमान के विरुद्ध लेखा अनुसार ₹21616.66 करोड़ रहा। वर्ष 2019-20 में राजस्व आधिक्य, ₹732.63 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में ₹2697.76 करोड़ का राजस्व घाटा होना संभावित है। राजकोषीय घाटा ₹32106.12 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में ₹32693.77 करोड़ होना संभावित है।
- 3.2 वर्ष 2018-19 के लेखा अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹150391.78 करोड़ है, जो पुनरीक्षित अनुमान ₹151159.75 करोड़ से कम है। इसका मुख्य कारण इस अवधि में राज्य कर, केन्द्रीय करों एवं केन्द्र से सहायता अनुदान के अंतर्गत कम राशि प्राप्त होना है। वर्ष 2019-20 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान ₹148561.30 करोड़ है, जो बजट अनुमान ₹179353.75 करोड़ से 17.17 प्रतिशत कम है।
- 3.3 वर्ष 2018-19 में राज्य के कर तथा करेत्तर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ क्रमशः ₹51126.49 करोड़ एवं ₹13287.51 करोड़ थीं, जो वर्ष 2018-19 के कर राजस्व के पुनरीक्षित अनुमान ₹52771.02 करोड़ की तुलना में 3.12 प्रतिशत कम है एवं करेत्तर राजस्व के

* के प्रधान महालेखाकार कार्यालय के पत्र क्रमांक बुक-2/बजट/2019-20/फा.10/408/दिनांक 05-02-2020 की संसूचना के आधार पर।

पुनरीक्षित अनुमान ₹9656.95 करोड़ की तुलना में 37.60 प्रतिशत अधिक है। कर राजस्व में कमी अनुमानित वृद्धि दर से कम वृद्धि दर प्राप्त होने के कारण रही है। वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राज्य के कर तथा करेत्तर राजस्व क्रमशः ₹54637.63 करोड़ तथा ₹10591.87 करोड़ प्राप्त होना अनुमानित है, जो बजट अनुमान 2019-20 से क्रमशः 16.29 प्रतिशत एवं 24.17 प्रतिशत कम है।

4. संभावनाएं

- 4.1 भारत सरकार द्वारा 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य के राजकोषीय घाटे को 3.5 प्रतिशत तक इस प्रकार सीमित किया है कि 3 प्रतिशत बिना शर्त के शेष 0.25 प्रतिशत केवल उन राज्यों को जिनका सकल ऋण (Gross Debt) राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का अनुपात 25 प्रतिशत से कम हो एवं अतिरिक्त 0.25 प्रतिशत केवल उन राज्यों को जिनका ऋण शोधन (Debt servicing/Interest) का अनुपात कुल कर राजस्व के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये मध्यप्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम अनुमान ₹906672 करोड़ मान्य किया गया है। मार्च 2020 की स्थिति में मध्यप्रदेश का कुल बकाया (देनदारियां) दायित्व का 24.95 प्रतिशत पहुँच चुका है। भारत सरकार द्वारा कोविड 19 के लॉकडाउन के पूर्व 2020-21 के लिये अधिप्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम अनुमान ₹949103 करोड़ मान्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित बजट अनुमान में प्रस्तावित राजकोषीय घाटे की पूरी सीमा

4.99 प्रतिशत में ऋण लिया गया तो कुल बकाया (देनदारियां) दायित्व का 28.83 प्रतिशत हो जायेगा।

कोविड 19 महामारी में लागू किये गये लॉकडाउन के कारण भारत सरकार एवं राज्य शासन की अर्थव्यवस्था पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ा है। यदि प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद इस वर्ष, पिछले वर्ष जितना ही रहे तो यह अनुपात 30.18 प्रतिशत तक पहुंच सकता है और यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत कमी हुई तो यह बढ़कर 31.76 प्रतिशत हो सकता है।

वर्ष 2019-20 में ऋण शोधन (Debt servicing/Interest) का अनुपात कुल राजस्व का 9.26 प्रतिशत अनुमानित है यह वर्ष 2020-21 में बढ़कर 12.05 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है।

आगामी वर्षों में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर यह संभावना रहेगी कि प्रदेश को राजकोषीय घाटे की सीमा में अतिरिक्त छूट प्राप्त न हो जिससे उतनी ही संसाधनों में कमी होगी। इसके कारण आगे के वर्षों में भी ऋण लेने की क्षमता विपरीत रूप से प्रभावित हो सकती है।

4.2 वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार केन्द्रीय करो में ₹14233.20 करोड़ की कमी तथा देश की अर्थव्यवस्था में अप्रत्याक्षित कमजोरी के कारण राज्य के वित्तीय संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2019-20 में ₹2697.76 करोड़ का राजस्व घाटा होना संभावित है। इस हेतु भारत सरकार के पत्र क्रमांक F 40(22)/PF-

1/2011/VOL-II दिनांक 26.02.2020 द्वारा ₹4443 करोड़ के विशेष ऋण की अनुमति भी प्रदान की गई है।

4.3 वर्ष 2019-20 में राजकोषीय संकेतकों के आधार पर प्रदेश को वर्ष 2020-21 के लिये राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3.00 प्रतिशत एवं 0.5 प्रतिशत बिना शर्त तथा 1.5 प्रतिशत सशर्त अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। अतएव वर्ष 2020-21 के लिये राजकोषीय घाटा अधिकतम सीमा जी.एस.डी.पी. का 5 प्रतिशत के भीतर रखा गया है।

4.4 भारत सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) की समीक्षा करने हेतु श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है तथा केन्द्र सरकार ने अपने बजट प्रस्ताव दिनांक 1 फरवरी 2018, में समिति की प्रमुख अनुशंसाओं को स्वीकार करने का उल्लेख किया है। इन अनुशंसाओं में केन्द्र सरकार के ऋण से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 40 प्रतिशत तक घटाना सम्मिलित है। यहां उल्लेखनीय है कि समिति की अनुशंसा अनुसार यह अनुपात केन्द्र सरकार हेतु 40 प्रतिशत तथा राज्यों हेतु 20 प्रतिशत नियत किया गया है। अब राज्यों से स्वाभाविक अपेक्षा होगी कि वे अपने ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 20 प्रतिशत से कम करने के प्रयास करें। यह अनुपात मध्यप्रदेश के लिए दिनांक 31.03.2020 की स्थिति में 24.95 प्रतिशत होना अनुमानित है। कोविड 19 के कारण आगामी तीन वर्षों में इसे 20 प्रतिशत तक ले आना संभव नहीं है। अतः अधोसंरचना कार्यों के

लिए वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राजस्व व्यय को नियंत्रित करना आवश्यक होगा।

- 4.5 वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.61 प्रतिशत रहना संभावित है। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.99 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।
- 4.6 वर्ष 2018-19 के लेखा अनुसार 31 मार्च, 2019 की स्थिति में राज्य पर कुल बकाया (देनदारियां) दायित्व रूपये 193737.41 करोड़ उसके जी.एस.डी.पी. रूपये 809326.71 करोड़ का 23.94 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार 31 मार्च, 2020 की स्थिति में राज्य पर कुल बकाया (देनदारियां) दायित्व रूपये 226194.36 करोड़ उसके जी.एस.डी.पी. रूपये 906671.79 का 24.95 प्रतिशत होगा।
- 4.7 राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष 2021-22 के बाद में राजस्व आधिक्य बना रहे।

ख. चयनित राजकोषीय सूचकों में रुख

(रैंकरोड़ में)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्व वर्ष (2018-19) से चालू वर्ष (2019-20) में परिवर्तन (प्रतिशत)	चालू वर्ष (2019-20) से आगामी वर्ष (2020-21) में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2018-19 (लेखा)	2019-20 (पु.अ.)	2020-21 (ब.अ.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजस्व प्राप्ति (2+3+4)	150391.78	148561.30	136596.36	-1.22	-8.05
2	कर राजस्व (2.1+ 2.2)	108479.58	104155.24	94826.05	-3.99	-8.96
	2.1 राज्य कर	51126.49	54637.63	48801.05	6.87	-10.68
	2.2 केन्द्रीय करों में हिस्सा	57353.09	49517.61	46025.00	-13.66	-7.05
3	कर भिन्न राजस्व	13287.51	10591.87	8860.26	-20.29	-16.35
4	केन्द्र से सहायता अनुदान	28624.68	33814.19	32910.05	18.13	-2.67
5	पूँजीगत एवं अन्य प्राप्ति (6+7+8+9)	18730.46	32497.48	47446.22	73.50	46.00
6	विविध पूँजीगत प्राप्ति/ऋण एवं अग्रिम की वसूली	83.67	40.48	41.07	-51.62	1.46
7	लोक ऋण	18973.70	23681.58	47101.54	24.81	98.90
8	आकस्मिकता निधि - (असमयोजित राशि)	0.00	0.00	0.00		
9	लोक लेखा - शुद्ध	-326.90	8775.41	303.61	-2784.43	-96.54
10	कुल प्राप्ति (1+5)	169122.24	181058.77	184042.58	7.06	1.65
11	राजस्व व्यय	141577.21	151259.06	154110.37	6.84	1.89
	: जिसमें					
11.1	व्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन खर्च	12695.69	13751.38	16460.21	8.32	19.70
11.2	सहायक अनुदान	53683.35	64537.13	57061.73	20.22	-11.58
11.3	राज सहायता	21222.13	11858.62	7762.49	-44.12	-34.54
11.4	पूँजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान	744.70	841.11	886.15	12.95	5.35
11.5	मजदूरी तथा वेतन	29012.49	32885.79	38111.96	13.35	15.89
11.6	पेंशन संदाय	11983.83	13499.04	16992.80	12.64	25.88
12	पूँजीगत व्यय	29424.19	29159.32	28350.28	-0.90	-2.77
13	ऋण एवं अग्रिम	1090.71	877.17	1536.41	-19.58	75.16
14	कुल व्यय (11+12+13)	172092.11	181295.56	183997.05	5.35	1.49
15	राजस्व आधिक्य (1-11)	8814.57	-2697.77	-17514.01	-130.61	549.20
16	राजकोषीय (वित्तीय) घाटा (14-(1+6))	21616.66	32693.78	47359.63	51.24	44.86
17	प्राथमिक घाटा (16-11.1)	8920.97	18942.39	30899.41	112.34	63.12

प्ररूप एफ-2

(नियम 4 देखिए)

मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण

1. चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग ने राजकोषीय समेकन रोडमैप के संबंध में अपनी अवार्ड अवधि के दौरान राज्यों के लिये राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसा की है –

“राज्य का राजकोषीय घाटा सामान्यतः जी.एस.डी.पी. का तीन प्रतिशत रहेगा। राज्य को राजकोषीय घाटे में 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा प्राप्त होगी, यदि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य का ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात 25 प्रतिशत या उससे कम रहा हो। इसके अतिरिक्त राज्य को राजकोषीय घाटे में 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा भी प्राप्त होगी, यदि पिछले वित्तीय वर्ष में उसका ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत या उससे कम रहा हो। अतः किसी एक साल के लिये राज्य का अधिकतम राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत तक हो सकता है। उपर्युक्त दोनों प्रकार के राजकोषीय घाटे की पात्रता तभी मिलेगी जब पिछले एवं चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का कोई भी राजस्व घाटा नहीं रहा हो अर्थात् राज्य ने राजस्व आधिक्य प्राप्त किया हो।”

2. 15 वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में राजकोषीय घाटे की सीमा तथा जी.एस.डी.पी. ऋण अनुपात की सीमा के बारे में कोई पृथक से अनुशंसा नहीं की गई है। अतः राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुरूप लक्ष्य रखे जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 में जी.एस.डी.पी. के 3.00

प्रतिशत की सीमा तक सामान्य एवं 0.5 प्रतिशत बिना शर्त तथा 1.5 प्रतिशत सशर्त अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। अतएव वर्ष 2020-21 का राजकोषीय घाटा अधिकतम सीमा जी.एस.डी.पी. का 5.00 प्रतिशत के भीतर रखा जायेगा।

3. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्यों की केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी की राशि में कमी हुई है। इस कारण राज्य सरकार वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रही है। इस कठिन आर्थिक परिदृश्य के परिपेक्ष्य में एवं राज्यों के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा कुल राशि रुपये 58843.00 करोड़ के बराबर राज्यों को एक बार अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश शासन के लिए यह सीमा रुपये 4443.00 करोड़ है। यह उधार केवल वर्ष 2019-20 में प्राप्त किया जा सकेगा। उक्त राशि को अधिनियम की धारा 9 उप धारा (2) में उल्लेखित अधिकतम सीमा के विरुद्ध संगणित नहीं किया जायेगा।

4. राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखे जाने हेतु वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि शासन के प्रमुख विभागों के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 प्रावधिक व्यय सीमा नियत की जाये। इस सीमा का निर्धारण राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा राज्य शासन की प्राथमिकताओं पर विचार कर किया गया है।

समय-समय पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा राज्य शासन की प्राथमिकताओं पर विचार कर इस सीमा पर पुनर्विचार किया जा सकता है। विशेष कर यह पुनर्विचार 15वें वित्त आयोग की अनुशंसायें तथा उन

पर केन्द्र सरकार के निर्णय (जो इस वर्ष के द्वितीय छः माही में प्राप्त होना संभावित है) प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा।

विभागवार प्रावधिक सीमा की तालिका परिशिष्ट –“क” पर उपलब्ध है।

क. राजकोषीय सूचक- चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2018-19	पुनरीक्षित अनुमान 2019- 20	बजट अनुमान 2020-21	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य *		
					2021-22	2022-23	2023-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	1.09	-0.30	-1.85	-0.85	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	2.67	3.61	4.99	4.45	3.75	3.50
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया (देनदारियाँ) दायित्व	23.94	24.95	28.83	31.15	32.06	32.13
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया परादेय ऋण	21.49	22.28	26.38	28.88	30.00	30.28

* वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिये उपरोक्तानुसार दर्शाए गये संकेतक वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अनुमानित किये गये है। शासन द्वारा श्री एन. के. सिंह समिति तथा 15 वे वित्त आयोग की भावी अनुशंसाओं के परिपेक्ष में इन संकेतको में परिवर्तन संभव है।

- (i) **राज्य के कुल ऋण (कुल बकाया परादेय ऋण)** - इसमें लोक ऋण के साथ अन्य ऋण (अर्थात लोक लेखा में सम्मिलित भविष्य निधि, सब्याज जमा, कर्मचारी समूह बीमा इत्यादि) सम्मिलित हैं।
- (ii) **कुल बकाया दायित्व**- इसमें कुल ऋण एवं अन्य दायित्व सम्मिलित है।

ख. राजकोषीय सूचकों का पूर्वानुमान

(1) राजस्व प्राप्तियां :

(क) कर राजस्व - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है। वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा ₹ 46025.00 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2020-21 के राज्य की स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान ₹ 48801.05 करोड़ है। कर राजस्व का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है-

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	विवरण	2018-19				2019-20		2020-21
		बजट अनुमान	पुन. अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	बजट अनुमान से प्राप्तियों का प्रतिशत (कमी/वृद्धि)	बजट अनुमान	पुन. अनुमान	बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0006	राज्य जी.एस.टी.	20108.00	20108.00	18618.65	-7.41	24100.00	19323.24	16111.00
0028	आय तथा व्यय पर अन्य कर	250.00	250.00	425.29	70.12	353.00	295.22	325.00
0029	भू - राजस्व	1200.00	500.00	384.39	-67.97	1000.00	533.26	500.00
0030	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	5600.00	5300.00	5277.99	-5.75	6500.00	5570.50	5000.00
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	9000.00	9500.00	9542.15	6.02	13000.00	10786.00	9000.00
0040	विक्री, व्यापार आदि पर कर	11500.00	10211.12	9903.20	-13.89	12000.00	10850.72	11208.00
0041	वाहन कर	3200.00	3000.00	3008.26	-5.99	4000.00	3037.00	2500.00
0042	माल तथा यात्रियों पर कर	15.00	15.00	117.50	683.35	15.00	142.78	90.00
0043	विद्युत कर तथा शुल्क	3050.00	2850.00	2616.29	-14.22	3135.00	2957.00	3000.00
	अन्य विविध प्राप्तियां	732.24	1036.90	1232.77	68.36	1170.74	1141.91	1067.05
योग	राज्य के स्वयं के कर राजस्व	54655.24	52771.02	51126.49	-6.46	65273.74	54637.63	48801.05
	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	59489.92	57486.87	57353.09	-3.59	63750.81	49517.61	46025.00
	कुल कर राजस्व	114145.16	110257.89	108479.58	-4.96	129024.55	104155.24	94826.05

(ख) करेतर राजस्व - वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) के लिये राज्य का करेतर राजस्व ₹8860.26 करोड़ अनुमानित है। यह राशि वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान ₹10591.87 करोड़ से -16.35 प्रतिशत कम है।

(ग) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा वर्ष

2019-20 (पुनरीक्षित अनुमान) में 36.78 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2020-21 में यह अनुपात 35.73 प्रतिशत होना अनुमानित है।

(घ) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार 7.13 प्रतिशत है। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा 6.49 प्रतिशत होना अनुमानित है।

(2) पूंजीगत प्राप्तियां

वर्ष 2020-21 में पूंजीगत प्राप्तियां ₹47446.22 करोड़ होना अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से 46.00 प्रतिशत अधिक है। संबंधित वर्ष में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता तथा उस समय प्रचलित ब्याज दर के आधार पर नए ऋणों का समूह निर्धारित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में ऋणों का समूह निम्नानुसार रहेगा -

(क) केन्द्र से उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2020-21 के लिये ₹5500.00 करोड़ केन्द्र सरकार से उधार तथा अग्रिम प्राप्त होने का अनुमान है, जो बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु है।

(ख) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी विशेष प्रतिभूतियां- इस मद में राज्य में अल्प बचत योजनाओं में हुई जमा राशि के आधार पर 50 प्रतिशत ऋण लेने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। इस मद में वर्ष 2019-20 का पुनरीक्षित अनुमान ₹4500

करोड़ है। वर्ष 2020-21 में इस मद में ₹4800 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।

(ग) **उधारों तथा अग्रिमों की वसूली** - राज्य द्वारा दिये गये उधार एवं अग्रिम का बकाया दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति में ₹42143.85 करोड़ है। उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग बिजली परियोजनाओं के लिए दिये गये कर्ज का बकाया ₹33162.07 करोड़ है। बिजली कंपनियों के कर्जों को राज्य सरकार को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा उदय योजना वर्ष 2016-17 में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत बिजली कंपनियों के कर्ज ₹26055 करोड़ को वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के मध्य राज्य सरकार को स्थानांतरित किया जाना है। साथ ही विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय साध्यता हेतु वित्तीय पुनर्संरचना योजना की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा रही है। अर्थात् बिजली कंपनियों से उधारों की वसूली निकट भविष्य में संभव प्रतीत नहीं होती। स्थानीय निकायों को दिये गये कर्ज का ₹462.96 करोड़ बकाया है।

(घ) **बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थानों से उधार** - बाजार ऋण के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान ₹27683.07 करोड़ के विरुद्ध पुनरीक्षित अनुमान ₹22636.00 करोड़ है। वर्ष 2020-21 के लिये ₹45992.67 करोड़ की राशि बाजार ऋण के रूप में प्राप्त होना अनुमानित है। आगे के वर्षों हेतु यह राशि राजकोषीय संकेतकों के आधार पर अनुमानित की गई है।

(ङ) **अन्य प्राप्तियां (शुद्ध) - भविष्य निधि आदि** – राज्य की संचित निधि से बाहर लोक लेखे से उधार पूंजीगत प्राप्तियों का एक स्रोत है। उपलब्धता के आधार पर इनका उपयोग पूंजीगत व्यय के अन्तर की पूर्ति के लिये किया जायेगा।

(च) **बकाया दायित्व - आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व - मार्च, 2019** एवं मार्च, 2020 की स्थिति में राज्य के आंतरिक ऋण एवं बकाया दायित्वों की स्थिति निम्नानुसार है –

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रमांक	बकाया दायित्व	मार्च, 2019 की स्थिति में	मार्च, 2020 की स्थिति में (अनुमानित)
1	लोक ऋण	157397.90	181079.47
2	राज्य के कुल ऋण	173943.50	201989.28
3	कुल ऋण एवं अन्य दायित्व	193737.39	226194.36
4	कुल बकाया दायित्व (जोखिम अधिमान प्रत्याभूति को जोड़कर)	199085.62	231810.00

नोट:-

- (i) **लोक ऋण** - इसमें राज्य के आंतरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार से लिये गये ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।
- (ii) **राज्य के कुल ऋण (कुल बकाया परादेय ऋण)** - इसमें लोक ऋण के साथ अन्य ऋण (अर्थात् लोक लेखा में सम्मिलित भविष्य निधि, सब्याज जमा, कर्मचारी समूह बीमा इत्यादि) सम्मिलित हैं।
- (iii) **कुल ऋण एवं अन्य दायित्व**- इसमें राज्य के कुल ऋण के साथ बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ एवं जमा सम्मिलित हैं।

(iv) **कुल बकाया दायित्व-** इसमें कुल ऋण एवं अन्य दायित्वों के साथ-साथ राज्य का जोखिम अधिमान दायित्व भी सम्मिलित है।

(3) **कुल व्यय :**

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत व्ययों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान अनुसार राजस्व व्यय ₹154110.37 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2020-21 के पश्चात राजस्व व्यय में 6.25 से 12.00 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित की गई है। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान अनुसार पूंजीगत परिव्यय ₹29886.69 करोड़ अनुमानित है।

(क) **राजस्व लेखा(व्यय) -** राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज संदाय, सब्सिडी तथा अनुदान शामिल है।

(एक) **ब्याज संदाय -** वर्ष 2019-20 में उधार लिये जाने वाले ऋण की औसत लागत 7.34 प्रतिशत अनुमानित है तथा इसी आधार पर देयताओं के पूर्वानुमान तैयार किये गये हैं।

(दो) **सहायक अनुदान -** वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में -11.58 प्रतिशत की कमी अनुमानित है।

(तीन) **सब्सिडी -** वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में -34.54 प्रतिशत की कमी अनुमानित है।

(चार) वेतन – वर्ष 2019-20 में वर्ष 2018-19 की तुलना में वेतन शीर्ष अन्तर्गत 13.35 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2020-21 में वेतन मद के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 15.89 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। यह वृद्धि समान्य वृद्धि के अतिरिक्त नवीन प्रस्तावित नियुक्तियों के कारण है।

(पाँच) पेंशन - वर्ष 2019-20 में वर्ष 2018-19 की तुलना में 12.64 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2020-21 में इस मद में वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से 25.88 प्रतिशत अधिक व्यय होना अनुमानित है। बाद के वर्षों में इस मद में 17 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है।

(ख) पूंजीगत लेखा (व्यय) -

(एक) उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में बजट अनुमान 2020-21 में उधार तथा अग्रिम मद में 75.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(दो) पूंजीगत परिव्यय - राज्य के पूंजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली, पेयजल तथा सिंचाई जैसी अधोसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार पूंजीगत परिव्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.22 प्रतिशत होगा तथा वर्ष 2020-21 में 2.99 प्रतिशत संभावित है। आधारभूत क्षेत्रों में पूंजीगत निवेश की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्षों में राजकोषीय सीमाओं के अन्तर्गत वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है।

(4) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-20 के दौरान चालू मूल्यों पर औसतन 14.17 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिये योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी अग्रिम अनुमान तथा वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा संसूचित जी.एस.डी.पी. के आंकड़े लिये गये हैं। उसके पश्चात वर्ष 2021-22 में 8 प्रतिशत वर्ष 2022-23 में 10.00 प्रतिशत एवं इसके बाद इसमें 12 प्रतिशत की औसत वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है। समावेशी आर्थिक विकास की अवधारणा को पूर्ण करने हेतु जी.एस.डी.पी. में वृद्धि को और तीव्र करना आवश्यक है तथा राजकोषीय नीति का यह प्रमुख लक्ष्य है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजकोषीय नीति अग्रसर है।

ग. संवहनीयता का निर्धारण :

सामान्य प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों की दर में अधिक तेजी से वृद्धि हो।

(एक) कुल राजस्व - वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कर राजस्व का जीएसडीपी से अनुपात 11.49 प्रतिशत है तथा वर्ष 2020-21 में इसके 9.99 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2019-20 में

स्वयं के कर राजस्व का जीएसडीपी से अनुपात 6.03 प्रतिशत है और वर्ष 2020-21 में भी इसके 5.14 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2019-20 के लिये केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जीएसडीपी से अनुपात 5.46 प्रतिशत है और यह वर्ष 2020-21 में 4.85 प्रतिशत अनुमानित है। करेतर राजस्व में वृद्धि करने के लिये उपभोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी तथा उसको संवहनीय बनाया जायेगा।

(दो) **ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात-** वर्ष 2018-19 में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 8.44 प्रतिशत था जो वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 9.26 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में यह अनुपात बढ़कर 12.05 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह संवहनीयता की दृष्टि से लक्षित 10 प्रतिशत की सीमा से ऊपर है एवं इसे पुनः कम करने का प्रयास किया जावेगा।

(तीन) **कुल परादेय ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात-** वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार कुल परादेय ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 22.28 प्रतिशत अनुमानित है। यह अनुपात वर्ष 2020-21 में 26.38 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2023-24 तक यह अनुपात बढ़कर 30.28 प्रतिशत तक होना संभावित है।

(2) **राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान** - वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार वर्ष 2018-19 की तुलना में वेतन मद में 13.35 प्रतिशत तथा पेंशन मद में 12.64 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष

2020-21 के लिये वेतन मद में बजट अनुमान में वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 15.89 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है। राज्य के द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा ऋण के समूह के समुचित चयन के कारण ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है। वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार ब्याज मद में वर्ष 2018-19 की तुलना में 8.32 प्रतिशत तथा वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान अनुसार वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 19.70 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राजस्व व्यय में वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2020-21 में 1.89 प्रतिशत तथा इसके पश्चात 6.25 से 12.00 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है।

(3) उत्पादक आस्तियों के जनन के लिये बाजार के उधारों सहित

पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग - राज्य के द्वारा राजस्व आधिक्य की स्थिति वर्ष 2004-05 में प्राप्त कर ली गई थी। लगातार चौदहवें वर्ष भी राजस्व आधिक्य की स्थिति बनाये रखने के बाद कठिन आर्थिक परिदृश्य के चलते वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार राजस्व घाटे की स्थिति निर्मित हुई है। वर्ष 2004-05 से सभी पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई, ऊर्जा, सड़क तथा पुलों आदि के निर्माण में किया जा रहा है। आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य आवश्यकतानुसार रखा गया है।

(4) आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना - पेंशन

भुगतान में वृद्धि की प्रवृत्ति की गणना आगामी वर्षों में सेवानिवृत्ति के

अनुसार की गई है। तदनुसार, पेंशन उत्तरदायित्व का पूर्वानुमान निम्नानुसार है : -

आंकड़ों की प्रवृत्ति	वर्ष	₹ करोड़ में
लेखानुसार वास्तविक आंकड़े	2014-15	6836.48
	2015-16	7818.69
	2016-17	8793.16
	2017-18	9290.25
	2018-19	11983.83
पुनरीक्षित अनुमान	2019-20	13499.04
बजट अनुमान	2020-21	16992.80
अनुमानित आंकड़े	2021-22	19881.58
	2022-23	23261.45
	2023-24	27215.89
	2024-25	31842.59
	2025-26	37255.84
	2026-27	43589.33
	2027-28	50999.51
	2028-29	59669.43

वर्ष 2020-21 में पेंशन मद में रूपये ₹ 16992.80 करोड़ का व्यय होना अनुमानित है। इस मद में वर्ष 2021-22 एवं आगामी वर्षों में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित करते हुए गणना की गई है।

प्ररूप एफ-3

(देखें नियम 5)

राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

(1) राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार :

1. राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक विकास एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही समावेशी विकास की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
2. इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा बजट अनुमान से 22.33 प्रतिशत कम प्राप्त होने का अनुमान है।
3. राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में -8.05 प्रतिशत की कमी अनुमानित है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार वर्ष 2018-19 की तुलना में 6.87 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इस मद में वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में वर्ष

2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से -10.68 प्रतिशत कमी अनुमानित है।

4. राजस्व व्यय अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान में वर्ष 2018-19 की तुलना में 6.84 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 1.89 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
5. वर्ष 2020-21 के राजस्व व्यय में इस वृद्धि का कारण राज्य शासन द्वारा कतिपय योजनाओं अंतर्गत वर्ष 2019-20 में भुगतान को कठिन आर्थिक परिदृश्य के कारण वर्ष 2020-21 में भुगतान हेतु प्रावधान प्रस्तावित किये गए हैं। वर्ष 2019-20 के राजस्व आधिक्य के बजट अनुमान ₹732.63 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान ₹2697.77 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा ₹32106.12 करोड़ की तुलना में ₹32693.78 करोड़ अनुमानित है।
6. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 9 की उपधारा 2 के परन्तुक में यह प्रावधान है कि " परन्तु राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, भारत संघ के बजट प्राक्कलन के संबंध में केन्द्रीय कर न्यागमन में कमी के आधार पर या आधारों के कारण और/या राज्य सरकार के वित्त पर आंतरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकल्पित बाध्यताओं के आधार या आधारों के कारण या ऐसे अन्य आपवादिक आधारों के कारण जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेगा। "

अतः भारत सरकार से केन्द्रीय करों में राज्य को प्राप्त होने वाले हिस्से की वास्तविक प्राप्तियां भारत सरकार के वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान ₹46025.00 करोड़ से कम रहने पर उक्त कमी की सीमा तक राजकोषीय घाटा अधिक हो सकता है तथा राजस्व घाटे में वृद्धि संभावित है।

- (2) **आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति** : आगामी वर्ष में राजस्व अधिक्य प्राप्त करने के साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, के पूर्ण पालन का प्रयास किया जायेगा।
- (i) **कर नीति** : राज्य सरकार राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हेतु सतत् प्रयासरत् है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कई वैधानिक तथा प्रशासनिक उपाय किये जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से कर संग्रहण क्षमता सुदृढ़ हुई है। आगामी वर्षों में कर संग्रहण में वृद्धि की अपेक्षा है।
- (ii) **व्यय नीति** : प्रभावशीलता, उत्तरदायित्व, औचित्य तथा समयबद्धता, वे चार आधारभूत नियम हैं, जो लोक व्यय प्रबंधन का आधार हैं। इसके लिए एकीकृत वित्तीय सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया है, जो कि शीघ्र ही कोषालयों तथा अन्य विभागों की प्राप्ति/आहरण प्रणालियों को एक नेटवर्क के तहत ले आयेगा। इस संबंध में काफी प्रगति की जा चुकी है। केन्द्र सरकार में प्रचलित वित्तीय सलाहकार प्रणाली को भी लागू किया गया है जिससे विभागों में व्यय प्रबंधन के आधारभूत नियमों में एकरूपता लायी जाकर, उनका पालन सुनिश्चित किया जा सके। सब्सिडी पर आधारित योजनाओं की समीक्षा कर उनका युक्तियुक्तकरण किया जायेगा।

राज्य की बजट प्रस्तुतिकरण व्यवस्था में अपनायी गई कुछ अन्य प्रमुख व्यवस्थायें निम्नानुसार हैं-

- (क) **जेण्डर बजट :** - महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट के अन्तर्गत महिलाओं को लाभान्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है ताकि इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सके। जेण्डर बजट वर्ष 2007-08 से प्रतिवर्ष मुख्य बजट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2020-21 हेतु भी जेण्डर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।
- (ख) **कृषि बजट :** - वित्तीय वर्ष 2012-13 में कृषि से संबंधित मुख्य मांगों (जो किसान कल्याण एवं कृषि विकास, सिंचाई, नर्मदा घाटी, पशुपालन एवं डेयरी, ऊर्जा, मछली पालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा सहकारिकता विभागों से संबंधित हैं) एवं अन्य विभागों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों हेतु रखे जाने वाले बजट प्रावधानों को संकलित कर एक पृथक खंड के रूप में तैयार कर प्रस्तुत किया गया। इस अनुक्रम में वर्ष 2020-21 के लिये भी कृषि बजट तैयार किया गया है।
- (ग) **एन्यूटी :** प्रदेश के विकास व कल्याण के कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही राशि के अतिरिक्त राज्य की अधोसंरचना विकास में जन-निजी भागीदारी अन्तर्गत एन्यूटी आधारित परियोजनाओं में निवेशित राशि की जानकारी बजट साहित्य के

खण्ड-5 में संकलित कर वित्तीय वर्ष 2012-13 से तैयार की जा रही है जिसे वर्ष 2020-21 में भी प्रस्तुत किया गया है।

(घ) **नगरीय एवं पंचायती राज स्थानीय संस्थाओं को राज्य शासन द्वारा अन्तरित की जा रही राशि का विवरण** - राज्य की विभिन्न विकासीय एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नगरीय व पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये उपर्युक्त संस्थाओं को राज्य के बजट के माध्यम से आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2009-10 से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली राशि का पृथक विवरण खण्ड-7 में संकलित कर तैयार किया जा रहा है, जिसे वर्ष 2020-21 में भी प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों को लाभ देने वाली स्कीमों में इन वर्गों हेतु रखे गये बजट अनुमान को दर्शाने वाला विवरण** - इसके लिये पृथक विवरण खण्ड-9 वर्ष 2017-18 से संकलित किया जा रहा है जिसे वर्ष 2020-21 में भी प्रस्तुत किया गया है।

(iii) **ऋण एवं आकस्मिक दायित्व तथा पूंजीगत व्यय :-** वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है तथा तत्पश्चात वर्ष 2018-19 तक निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति के बाद चालु वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय करों में कटौती एवं वर्ष 2020-21 में कोविड 19 के कारण राजस्व घाटे की स्थिति निर्मित हुई है। आगे के वर्षों में राजस्व आधिक्य को बनाये रखने के प्रयास एवं आधिक्य का उपभोग पूंजीगत कार्यों के लिये किया जायेगा।

(3) आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति प्राथमिकताएं :

- (i)** राजकोषीय नीति मुख्यतया राज्य सरकार के आय एवं राजस्व के संग्रहण एवं व्यय से संबंधित होती है। राज्य शासन की प्राथमिकता करों के आधार को बढ़ाना और उनके संग्रहण में और अधिक कसावट लाना है।
- (ii)** ऋण प्रक्रिया का मुख्य आधार ऋणों की लागत को कम करना रहा है।
- (iii)** व्यय के क्षेत्र में पूंजीगत व्यय एवं कृषि, शिक्षा, पेयजल एवं स्वास्थ्य प्राथमिकता के क्षेत्र रहेंगे।
- (iv)** राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में ऊर्जा क्षेत्र भी शामिल है। विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय आधार को सुदृढ़ करना तथा उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना लक्षित है।
- (v)** इसी प्रकार राज्य सरकार की यह प्राथमिकता भी रहेगी कि राज्य में सड़कों का प्रभावी नेटवर्क स्थापित हो जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले।
- (vi)** नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश को अवंटित जल 18.25 एम.ए.एफ. के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये संबंधित परियोजनाओं का निर्माण वर्ष 2024 तक किया जाना आवश्यक है।
- (vii)** राज्य शासन का पर्यटन क्षेत्र में विकास एवं इसमें रोजगार को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास रहेगा।
- (viii)** दिनांक 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने पर राज्य के कर राजस्व पर प्रभाव पड़ा है। GST के लागू होने के बाद

राज्य को करों में होने वाली क्षतिपूर्ति का अनुमान राज्य के करों में 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16 के अनुसार) लेते हुए किया जा रहा है। लेकिन क्षतिपूर्ति की राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं हो रही है।

(ix) राज्य सरकार की विभिन्न व्यय योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यकता के अनुरूप युक्तियुक्तकरण/समेकन किया जाना ताकि इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके।

(4) नीति परिवर्तन के मूल आधार :

(i) राज्य की राजकोषीय नीति का मूल उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास तथा राज्य के समस्त नागरिकों को विकास प्रक्रिया से जोड़ने का है।

(ii) कर की दरों को एक सीमा से अधिक बढ़ाना, राजस्व प्राप्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्षों में करों के आधार को और बढ़ाने का प्रयास रहेगा।

(iii) कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर उच्च स्तर पर बनी रहे, इस हेतु विशेष ध्यान दिये जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

(5) नीति मूल्यांकन : मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार वांछित सभी राजकोषीय जानकारीयाँ उपलब्ध कराई गई हैं। मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण वर्ष 2018-19 के लेखा, वर्ष 2019-20 के बजट/पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक प्राक्कलित ट्रेंड/रूझानों के आधार पर तैयार किया गया

है। उल्लेखित वर्षों के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है। इसके अतिरिक्त अनुमानों को समुचित रूप से स्पष्टीकरण के साथ संशोधित किया गया है जिससे वे यथार्थ पर आधारित रहें। राजकोषीय पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा वक्तव्यों से प्रदर्शित है।

प्ररूप एफ-4

(नियम 7 देखिये)

सिलेक्ट राजकोषीय सूचक

अनु. क्र	मद	पूर्ववर्ती वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	आगामी वर्ष (ब.अ.)
		2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा	2.67	3.61	4.99
2	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	40.78	-8.25	-36.98
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	1.09	-0.30	-1.85
4	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा / आधिक्य	5.86	-1.82	-12.82
5	कुल दायित्व -सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का अनुपात (प्रतिशत)	23.94	24.95	28.83
6	कुल दायित्व -कुल राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	128.82	152.26	200.31
7	कुल दायित्व -राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	378.94	413.99	560.67
8	राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय की तुलना में (प्रतिशत)	36.11	36.12	31.67
9	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार पूंजीगत परिव्यय	141.16	91.87	63.11
10	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	8.44	9.26	12.05
11	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार वेतन व्यय	19.29	22.14	27.90
12	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार पेंशन व्यय	7.97	9.09	12.44

प्ररूप एफ-5

(नियम 7 देखिये)

क.- राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(रुपये करोड़ में)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये या उठाये जाने वाले			राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिसंदाय/विमोचन			बकाया राशि (31 मार्च को)		
		पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		2018-19 (लेखा)	2019-20 (पु.अ.)	2020-21 (ब.अ.)	2018-19 (लेखा)	2019-20 (पु.अ.)	2020-21 (ब.अ.)	2018-19 (लेखा)	2019-20 (पु.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	बाजार उधार	20496.00	22636.00	45992.67	5495.30	5921.00	6920.04	98817.33	115532.33	154604.96
2	केन्द्र से ऋण	3795.78	5000.00	5500.00	1148.24	1449.79	1582.57	17388.60	20938.81	24856.24
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2971.57	4500.00	4800.00	1885.53	1900.00	2030.00	23881.30	26481.30	29251.29
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	5234.07	2551.00	3155.00	4994.65	1734.63	1813.52	17310.68	18127.05	19468.53
5	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	437534.93	624671.47	703177.43	437861.84	615896.05	702873.82	36339.47	45114.89	45418.50
7	अन्य जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	योग #	470032.35	659358.47	766625.10	451385.56	626901.47	719219.95	193737.39	226194.39	273599.52

ख. राज्य सरकार के दायित्वों पर अधिमान औसत ब्याज दरें (प्रतिशत)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये ^		बकाया रकम (31 मार्च को)	
		पूर्व वर्ष (लेखा) 2018-19	चालू वर्ष (पु.अ.) 2019-20	पूर्व वर्ष (लेखा) 2018-19	चालू वर्ष (पु.अ.) 2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बाजार से उधार	8.47	7.31	8.20	8.07
2	केन्द्र से ऋण	परिवर्तनीय दर	परिवर्तनीय दर	9.66	9.21
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	8.20	8.20	9.63	9.55
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	5.12	5.01	7.80	7.45
5	भा.रि.बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	7.90	7.90	7.90	7.90
7	अन्य जमा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कुल औसत दर *	8.17	7.34	8.43	8.28

राज्य सरकार के दायित्वों के घटक योग में सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

रिस्क वेटेज के अनुसार वर्ष 2018-19 में रूपये 5348.23 वर्ष 2019-20 में रूपये 5615.64 एवं वर्ष 2020-21 में रूपये 5896.42 करोड़ सम्मिलित नहीं है।

^1- अधिमान औसत ब्याज दर जहां संबंधित अधिमान उधार ली गई रकम है। यह संविदात्मक आधार पर प्रकल्पित है और तब वार्षिक की गई है।

2- औसत ब्याज दर की गणना में परिवर्तनीय दर पर प्राप्त ऋण सम्मिलित नहीं है

* अधिमान औसत ब्याज दर, जहां अधिमान राज्य सरकार के दायित्वों के संबंधित घटकों की रकम है।

ग. विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अर्थोपाय अग्रिम/राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओव्हर ड्राफ्ट का ब्यौरा

अनु.क्र.	अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण	पूर्व वर्ष 2018-19	चालू वर्ष 2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थोपाय अग्रिम की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	211.02	0
2	अधिविकर्षण की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
3	अर्थोपाय अग्रिम के दिवसों की संख्या	16	0
4	अधिविकर्षण के दिवसों की संख्या	0	0
5	अधिविकर्षण के अवसरों की संख्या	0	0

प्ररूप एफ-6

(नियम 7 देखिये)

संचित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ.)

(रुपये करोड़ में)

पूर्व वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ.में परादेय बकाया	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	पूर्व वर्ष के अंत में/चालू वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ. में परादेय बकाया	चालू वर्ष के आरंभ में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टॉक (प्रतिशत)	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोत्तरी	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष के अंत में/आगामी वर्ष के आरंभ में परादेय बकाया	चालू वर्ष के अंत में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टॉक (प्रतिशत)
2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2019-20	2019-20	2019-20	2019-20	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-

प्ररुप एफ - 7
(नियम 7 देखिये)
सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(रुपये करोड़ में)

प्रवर्ग (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत अधिकतम रकम	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	वर्ष के दौरान कमी (वर्ष के दौरान किये गये अवलंब से भिन्न)	वर्ष के दौरान किया गया अवलंब		कुल परादेय प्रत्याभूतियां (31.12.19 की स्थिति में)	प्रत्याभूति कमीशन या फीस		कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल परादेय प्रत्याभूतियां
					उन्मोचित	अनुन्मोचित		प्राप्त करने योग्य	प्राप्त की गई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
गृह विभाग (3)	8,07.80	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	4,80.95	8.07	7.27	
वित्त विभाग (17)	12,00.00	--	--	--	--	--	6,14.51	2.00	2.00	
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (9)	9,82.50	--	--	--	--	--	7,29.28	0.13	0.00	
उर्जा विभाग (17)	54,96.16	--	--	--	--	--	28,17.83	51.89	1.50	
नगरीय विकास एवं आवास विभाग (375)	62,02.89	--	--	--	--	--	33,58.04	2.61	0.00	
लोक निर्माण विभाग (2)	40,00.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (14)	2,42,75.00	--	--	--	--	--	2,28,99.71	0.00	0.00	
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (1)	39.50	--	--	--	--	--	16.42	0.00	0.00	
वृहद योग	4,30,03.86						3,09,16.76	64.72	10.77	20.81%

प्ररूप एफ-8

(नियम 7 देखिये)

प्रत्याभूति विमोचन निधि (जी. आर. एफ.)

(₹ करोड़ में)

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर परादेय इनवोकड प्रत्याभूतियां 2018-19	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम 2018-19	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूतियों की रकम जिनका अवलंब संभाव्य है 2019-20	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में बढ़ोतरी 2019-20	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से प्रत्याहरण 2019-20	चालू वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम 2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0.00	408.79	0.00	0.00	0.00	408.79

प्ररूप एफ-9
(नियम 7 देखिये)
वित्तीय आस्तियों का विवरण

अनु.क्र.	मद	पूर्व वर्ष के आरंभ पर आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आस्तियों का संचयी योग बही मूल्य (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	ऋण एवं अग्रिम जिसमें	41124.07	1019.78	42143.85
	स्थानीय निकायों को ऋण	443.16	19.79	462.96
	विद्युत कंपनियों को ऋण	32776.82	385.25	33162.07
	अन्य कंपनियों को ऋण	892.97	1.70	894.67
	अन्य ऋण	7011.12	613.03	7624.15
2	साम्या विनिधान (इक्विटी इन्वेस्टमेंट)	30377.20	4862.90	35240.10
	अंशपूंजी (शेयर)			
	बोनस शेयर			
3	भारत सरकार प्रत्याभूतियों / कोषालयीन बिलों में विनिधान	0.21	0	0.21
4	14 दिन के इन्टरमीडिएट कोषालयीन बिलों में विनिधान	7412.19	1226.27	8638.46
5	अन्य वित्तीय विनिधान	- -	- -	- -
6	योग	78913.66	7108.95	86022.62

टिप्पणी : - केवल रुपये दो लाख के ऊपर के मूल्य की आस्तियां दर्ज की जाना हैं।

प्ररूप एफ-10

(नियम 7 देखिये)

राजस्व जो अधिरोपित किया गया किन्तु वसूल नहीं किया गया

(मुख्य कर और करेतर राजस्व)

(जैसा कि पूर्व वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर है)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादित राशि (₹करोड़ में)	अविवादित राशि (₹करोड़ में)	कुल योग (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आय तथा व्यय पर कर			
0023	होटल की प्राप्तियों पर कर	0.03	0.16	0.19
0028	आय तथा व्यय पर कर	0.33	0.71	1.04
	संपत्ति तथा पूंजीगत सेवाओं पर कर			
0029	भू-राजस्व *	10.89	175.82	186.71
0030	स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क	62.15	323.73	385.88
	वस्तुओं तथा सेवा पर कर			
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	14.42	208.45	222.87
0040	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2881.67	286.90	3168.57
0041	वाहनो पर कर	0.00	894.64	894.64
0042	माल तथा यात्री कर (प्रवेश कर)	1682.20	66.66	1748.86
0043	विद्युत कर तथा शुल्क	151.16	83.68	234.84
0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	471.13	15.45	486.58
0406	वन तथा वन्य जीव	5.29	11.67	16.96
0700	मुख्य सिंचाई	0.00	283.00	283.00
0701	मध्यम सिंचाई	0.00	189.01	189.01
0702	लघु सिंचाई	0.00	1192.00	1192.00
0853	अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	32.57	105.91	138.48
	योग	5311.84	3837.79	9149.63

टीप - इस विवरण के अन्तर्गत राजस्व बकाया का विवरण दिया गया है।

* - वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर।

प्ररूप एफ-11
(नियम 7 देखिये)
(प्रावधिक आंकड़े)

क राज्य सरकार में नियोजन

(31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह लेवलानुसार (₹ में)	अधिकारी / कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	लेवल -1 (GP 1300)	25533	5.41
2	लेवल -2 (GP 1400)	23022	4.87
3	लेवल -3 (GP 1800)	34087	7.22
4	लेवल -4 (GP 1900)	70018	14.82
5	लेवल -5 (GP 2100)	30988	6.56
6	लेवल -6 (GP 2400)	70986	15.03
7	लेवल -7 (GP 2800)	53343	11.29
8	लेवल -8 (GP 3200)	57762	12.23
9	लेवल -9 (GP 3600)	43986	9.31
10	लेवल -10 (GP 4200)	26630	5.64
11	लेवल -11 (GP 4800)	6780	1.44
12	लेवल -12 (GP 5400)	13127	2.78
13	लेवल -13 (GP 6600)	7648	1.62
14	लेवल -14 (GP 7600)	3687	0.78
15	लेवल -15 (GP 8700)	1526	0.32
16	लेवल -16 (GP 8900)	1762	0.37
17	लेवल -17 (GP 10000)	1422	0.30
	योग	472307	100

ख राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजन

(31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह लेवलानुसार (₹ में)	अधिकारी / कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	लेवल -1 (GP 1300)	1597	4.02
2	लेवल -2 (GP 1400)	1754	4.42
3	लेवल -3 (GP 1800)	3580	9.02
4	लेवल -4 (GP 1900)	11585	29.19
5	लेवल -5 (GP 2100)	4489	11.31
6	लेवल -6 (GP 2400)	2301	5.80
7	लेवल -7 (GP 2800)	3671	9.25
8	लेवल -8 (GP 3200)	3949	9.95
9	लेवल -9 (GP 3600)	1997	5.03
10	लेवल -10 (GP 4200)	2078	5.24
11	लेवल -11 (GP 4800)	984	2.48
12	लेवल -12 (GP 5400)	830	2.09
13	लेवल -13 (GP 6600)	430	1.08
14	लेवल -14 (GP 7600)	294	0.74
15	लेवल -15 (GP 8700)	81	0.20
16	लेवल -16 (GP 8900)	35	0.09
17	लेवल -17 (GP 10000)	30	0.08
	योग	39685	100

छठे वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	0	0.00
2	5001 से 21000	998	77.36
3	21001 से 37000	262	20.31
4	37001 से 53000	23	1.78
5	53001 से 65000	2	0.16
6	65001 से 80000	5	0.39
7	80001 से अधिक	0	0.00
	योग	1290	100

पाँचवें वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	2500 तक	0	0.00
2	2501 से 4300	5	12.82
3	4301 से 6100	16	41.03
4	6101 से 9700	3	7.69
5	9701 से 13300	9	23.08
6	13301 से 19300	6	15.38
7	19301 से अधिक	0	0.00
	योग	39	100

चौथे वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	800 तक	0	0.00
2	801 से 1000	41	17.15
3	1001 से 1400	107	44.77
4	1401 से 2000	59	24.69
5	2001 से 3500	29	12.13
6	3501 से 5000	3	1.26
7	5001 से अधिक	0	0.00
	योग	239	100

ग अर्द्ध शासकीय निकायों में नियोजन

(31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह लेवलानुसार (₹ में)	अधिकारी / कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	लेवल -1 (GP 1300)	253	7.83
2	लेवल -2 (GP 1400)	113	3.50
3	लेवल -3 (GP 1800)	289	8.95
4	लेवल -4 (GP 1900)	367	11.36
5	लेवल -5 (GP 2100)	53	1.64
6	लेवल -6 (GP 2400)	368	11.39
7	लेवल -7 (GP 2800)	272	8.42
8	लेवल -8 (GP 3200)	333	10.31
9	लेवल -9 (GP 3600)	252	7.80
10	लेवल -10 (GP 4200)	261	8.08
11	लेवल -11 (GP 4800)	48	1.49
12	लेवल -12 (GP 5400)	239	7.40
13	लेवल -13 (GP 6600)	164	5.08
14	लेवल -14 (GP 7600)	151	4.67
15	लेवल -15 (GP 8700)	49	1.52
16	लेवल -16 (GP 8900)	10	0.31
17	लेवल -17 (GP 10000)	8	0.25
	योग	3230	100

छठवें वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	18	0.69
2	5001 से 21000	1495	57.04
3	21001 से 37000	493	18.81
4	37001 से 53000	174	6.64
5	53001 से 65000	134	5.11
6	65001 से 80000	170	6.49
7	80001 से अधिक	137	5.23
	योग	2621	100

पाँचवें वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	2500 तक	0	0.00
2	2501 से 4300	17	22.67
3	4301 से 6100	23	30.67
4	6101 से 9700	23	30.67
5	9701 से 13300	10	13.33
6	13301 से 19300	2	2.67
7	19301 से अधिक	0	0.00
	योग	75	100

घ. विश्वविद्यालयों में नियोजन

(31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह लेवलानुसार (₹ में)	अधिकारी / कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	लेवल -1 (GP 1300)	581	15.70
2	लेवल -2 (GP 1400)	216	5.84
3	लेवल -3 (GP 1800)	291	7.86
4	लेवल -4 (GP 1900)	754	20.38
5	लेवल -5 (GP 2100)	117	3.16
6	लेवल -6 (GP 2400)	410	11.08
7	लेवल -7 (GP 2800)	274	7.41
8	लेवल -8 (GP 3200)	117	3.16
9	लेवल -9 (GP 3600)	259	7.00
10	लेवल -10 (GP 4200)	155	4.19
11	लेवल -11 (GP 4800)	32	0.86
12	लेवल -12 (GP 5400)	81	2.19
13	लेवल -13 (GP 6600)	125	3.38
14	लेवल -14 (GP 7600)	98	2.65
15	लेवल -15 (GP 8700)	20	0.54
16	लेवल -16 (GP 8900)	21	0.57
17	लेवल -17 (GP 10000)	149	4.03
	योग	3700	100

छठवें वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	4	0.46
2	5001 से 21000	282	32.49
3	21001 से 37000	167	19.24
4	37001 से 53000	298	34.33
5	53001 से 65000	49	5.65
6	65001 से 80000	58	6.68
7	80001 से अधिक	10	1.15
	योग	868	100

ड- नगरीय स्थानीय निकायों में नियोजन

(31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह लेवलानुसार (₹ में)	अधिकारी / कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	लेवल -1 (GP 1300)	5624	15.94
2	लेवल -2 (GP 1400)	8485	24.05
3	लेवल -3 (GP 1800)	7140	20.24
4	लेवल -4 (GP 1900)	4826	13.68
5	लेवल -5 (GP 2100)	2681	7.60
6	लेवल -6 (GP 2400)	1862	5.28
7	लेवल -7 (GP 2800)	1728	4.90
8	लेवल -8 (GP 3200)	1011	2.87
9	लेवल -9 (GP 3600)	985	2.79
10	लेवल -10 (GP 4200)	366	1.04
11	लेवल -11 (GP 4800)	159	0.45
12	लेवल -12 (GP 5400)	218	0.62
13	लेवल -13 (GP 6600)	114	0.32
14	लेवल -14 (GP 7600)	70	0.20
15	लेवल -15 (GP 8700)	6	0.02
16	लेवल -16 (GP 8900)	7	0.02
17	लेवल -17 (GP 10000)	2	0.01
	योग	35284	100

च विकास प्राधिकरणों में नियोजन

(31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह लेवलानुसार (₹ में)	अधिकारी / कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	लेवल -1 (GP 1300)	82	9.15
2	लेवल -2 (GP 1400)	120	13.39
3	लेवल -3 (GP 1800)	47	5.25
4	लेवल -4 (GP 1900)	87	9.71
5	लेवल -5 (GP 2100)	97	10.83
6	लेवल -6 (GP 2400)	108	12.05
7	लेवल -7 (GP 2800)	88	9.82
8	लेवल -8 (GP 3200)	67	7.48
9	लेवल -9 (GP 3600)	44	4.91
10	लेवल -10 (GP 4200)	17	1.90
11	लेवल -11 (GP 4800)	7	0.78
12	लेवल -12 (GP 5400)	30	3.35
13	लेवल -13 (GP 6600)	62	6.92
14	लेवल -14 (GP 7600)	27	3.01
15	लेवल -15 (GP 8700)	6	0.67
16	लेवल -16 (GP 8900)	7	0.78
17	लेवल -17 (GP 10000)	0	0.00
	योग	896	100

छ- ग्रामीण स्थानीय निकायों में नियोजन

(31 मार्च 2019 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह लेवलानुसार (₹ में)	अधिकारी / कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	लेवल -1 (GP 1300)	318	5.64
2	लेवल -2 (GP 1400)	375	6.65
3	लेवल -3 (GP 1800)	523	9.28
4	लेवल -4 (GP 1900)	520	9.23
5	लेवल -5 (GP 2100)	746	13.24
6	लेवल -6 (GP 2400)	724	12.85
7	लेवल -7 (GP 2800)	784	13.91
8	लेवल -8 (GP 3200)	658	11.68
9	लेवल -9 (GP 3600)	393	6.97
10	लेवल -10 (GP 4200)	247	4.38
11	लेवल -11 (GP 4800)	85	1.51
12	लेवल -12 (GP 5400)	114	2.02
13	लेवल -13 (GP 6600)	75	1.33
14	लेवल -14 (GP 7600)	47	0.83
15	लेवल -15 (GP 8700)	17	0.30
16	लेवल -16 (GP 8900)	3	0.05
17	लेवल -17 (GP 10000)	6	0.11
	योग	5635	100

विभागवार प्रावधिक सीमा का निर्धारण

परिशिष्ट-क

(राशि रुपये करोड़ में)

विभाग	2020-2021		2021-2022		2022-2023	
			(प्रावधिक सीमा)		(प्रावधिक सीमा)	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
01 सामान्य प्रशासन विभाग	789.98	67.87	801.97	67.87	814.45	67.87
02 गृह विभाग	7,455.97	654.10	7,686.77	654.10	7,926.47	654.10
03 जेल विभाग	411.98	30.30	421.72	30.30	431.83	30.30
04 वित्त विभाग	34,034.31	16,413.40	36,713.06	16,413.40	39,605.82	16,413.40
05 वाणिज्यिक कर विभाग	3,201.03	17.02	3,216.14	17.02	3,231.84	17.02
06 अध्यात्म विभाग	48.15	0.00	48.23	0.00	48.31	0.00
07 राजस्व विभाग	6,867.24	172.10	6,934.21	172.10	7,004.05	172.10
08 परिवहन विभाग	97.12	13.60	99.58	13.60	102.14	13.60
09 खेल एवं युवक कल्याण विभाग	103.53	52.27	104.23	52.27	104.96	52.27
10 वन विभाग	1,664.51	1,033.27	1,728.15	1,068.65	1,794.98	1,106.48
11 औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	318.62	592.50	318.84	592.50	319.06	592.50
12 खनिज साधन विभाग	797.81	9.00	799.23	9.00	800.71	9.00
13 ऊर्जा विभाग	4,820.37	1,144.00	4,824.04	1,144.00	4,827.95	1,144.00
14 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	10,629.66	0.00	10,654.15	0.00	10,679.57	0.00
15 सहकारिता विभाग	633.12	70.26	639.54	70.26	646.27	70.26
16 श्रम विभाग	813.07	0.00	818.35	0.00	823.82	0.00
17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	7,231.12	174.42	7,344.33	174.42	7,461.91	174.42
18 नगरीय विकास एवं आवास विभाग	9,188.75	1,594.61	9,421.68	1,594.61	9,666.27	1,594.61
19 लोक निर्माण विभाग	1,547.19	5,318.96	1,597.38	5,318.96	1,650.02	5,318.96
20 स्कूल शिक्षा विभाग	22,538.13	695.40	22,786.89	695.40	23,045.09	695.40
21 विधि एवं विधायी कार्य विभाग	1,863.94	265.00	1,917.65	265.00	1,973.52	265.00
22 पंचायत विभाग	5,721.73	0.00	5,767.89	0.00	5,816.28	0.00
23 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	143.74	543.74	145.98	543.74	148.32	543.74
24 जन संपर्क विभाग	345.37	5.00	347.23	5.00	349.18	5.00
25 आदिमजाति कल्याण विभाग	7,863.04	1,098.78	8,084.55	1,098.78	8,314.75	1,098.78
26 सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	2,926.39	0.00	2,929.06	0.00	2,931.84	0.00
27 नर्मदा घाटी विकास विभाग	13.29	2,399.53	13.71	2,412.81	14.15	2,426.71
28 पुनर्वास विभाग	0.43	0.00	0.44	0.00	0.45	0.00
29 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	878.54	3.87	881.72	3.87	885.03	3.87
30 संस्कृति विभाग	131.60	21.95	133.44	21.95	135.37	21.95
31 जल संसाधन विभाग	1,181.38	4,882.40	1,227.00	4,886.57	1,274.86	4,890.97
33 पर्यटन विभाग	51.21	50.34	51.23	50.34	51.26	50.34
34 लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग	760.32	4,067.38	787.11	4,069.39	815.17	4,071.50
35 पशुपालन विभाग	909.12	9.57	935.66	9.57	963.23	9.57

विभागवार प्रावधिक सीमा का निर्धारण

परिशिष्ट-क

(राशि रुपये करोड़ में)

विभाग	2020-2021		2021-2022		2022-2023	
			(प्रावधिक सीमा)		(प्रावधिक सीमा)	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
36 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग	92.69	0.78	94.49	0.78	96.36	0.78
38 उच्च शिक्षा विभाग	2,498.03	535.84	2,570.66	535.84	2,646.04	535.84
41 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	116.92	34.00	116.92	34.00	116.92	34.00
42 तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	886.86	334.80	904.15	334.80	922.11	334.80
43 लोक सेवा प्रबंधन विभाग	60.35	2.00	60.39	2.00	60.43	2.00
45 विमानन विभाग	24.76	62.00	25.07	62.00	25.40	62.00
47 भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास विभाग	113.04	6.89	115.96	6.89	118.99	6.89
48 संसदीय कार्य विभाग	98.27	0.00	100.11	0.00	102.03	0.00
50 महिला एवं बाल विकास विभाग	4,991.45	93.76	5,005.18	93.76	5,019.45	93.76
52 कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	118.20	1.37	120.83	1.37	123.60	1.37
53 चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,285.86	775.00	1,291.74	775.00	1,297.91	775.00
54 पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग	763.30	23.74	764.57	23.74	765.91	23.74
55 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	1,232.36	263.07	1,241.98	263.07	1,252.08	263.07
58 ग्रामीण विकास विभाग	7,617.79	4,113.28	7,630.77	4,113.28	7,644.27	4,113.28
59 उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग	518.24	68.00	526.37	68.00	534.89	68.00
60 आयुष विभाग	453.88	19.45	468.26	19.45	483.20	19.45
61 नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग	62.59	0.00	62.63	0.00	62.68	0.00
62 विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग	30.27	7.00	30.73	7.00	31.20	7.00
64 प्रवासी भारतीय विभाग	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00
65 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	396.24	290.50	399.19	290.50	402.26	290.50
66 पर्यावरण विभाग	21.00	0.27	21.00	0.27	21.00	0.27